

कृपया
नगर विकास
विभाग

(619)

(2)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

कमांक प.3(40)नविवि/3/20C4

जयपुर, दिनांक:-

14 AUG 2012

परिपत्र

राज्य के नगरीय निकायों में इस तरह के प्रकरण ध्यान में आये हैं, जिनमें भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर नहीं दिये जाकर लघु अवधि लीज दिये गये हैं। यह लघु लीज अवधि कभी पर 28 वर्ष है कभी 30 वर्ष है। लीज अवधि बकाकर 99 वर्ष किये जाने के संदर्भ में सम्बन्धित निकायों पर आदेशन पेश किये जाते रहे हैं। राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर लिये गये निर्माणानुसार लेख है कि जिन प्रकरणों में लघु लीज अवधि समाप्त हो चुकी है या समाप्त होना शेष है, उन प्रकरणों में अवधि समाप्त होने पर लीज अवधि समाप्त मानते हुए राजस्थान सुधार न्याया (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम 1974 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Or 14/8/12
(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. डिजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर) एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति, नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अलवर विकास प्राधिकरण जयपुर, जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास सनस्त।
9. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि आपका पत्र कमांक 2940 दिनांक 19.10.2012 के कम में अजीत पेट्रोल पम्प सर्विस स्टेशन वी लघु अवधि पर दिया गया था, जो समाप्त हो चुका है। इस प्रकरण में इस परिपत्र के अनुसार कार्यवाही करें।
10. रक्षित पत्रावली।

Or 14/8/12
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

(278)